2028/269

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री कान्तिलाल उपाध्याय
निवासी ब्रह्मपुरी मौहल्ला
सांतपुर तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
सचिव नगर सुधार न्यास आबू

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 61 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.12.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 17.10.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि वर्तमान में कार्यालय नगर सुधार न्यास आबू द्वारा कुल 11 निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए है, उन नोटिसों की प्रमाणित प्रति एवं पूर्व में भी इन्हें नोटिस जारी किए गए हो तो उसकी भी प्रमाणित प्रति एवं इन 11 निर्माण कार्यो का वर्तमान / पूर्व में किए गए निरीक्षण की मौका फर्द / निरीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एवं जनवरी 2023 से सितम्बर 2023 तक की अवधि में नगर सुधार न्यास आबू में पर्यवेक्षण एवं अतिक्रमणों की रोकथाम व अवैध निर्माण की रोकथाम का प्रभार किस कार्मिक के पास था, उसका नाम रेकर्ड के आधार पर उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 17.10.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि वर्तमान में कार्यालय नगर सुधार न्यास आबू द्वारा कुल 11 निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए है, उन नोटिसों की प्रमाणित प्रति एवं पूर्व में भी इन्हें नोटिस जारी किए गए हो तो उनकी भी प्रमाणित प्रति एवं इन 11 निर्माण कार्यो का वर्तमान / पूर्व में किए गए निरीक्षण की मौका फर्द / निरीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एवं जनवरी 2023 से सितम्बर 2023 तक की अवधि में नगर सुधार न्यास आबू में पर्यवेक्षण एवं अतिक्रमणों की रोकथाम व अवैध निर्माण की रोकथाम का प्रभार किस कार्मिक के पास था उसका नाम रेकर्ड के आधार पर उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner